अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

सिटी पावर हाऊस, हाथीभाटा, अजमेर–305001

(मैन्युअल–5)

कर्तव्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

लोक प्राधिकरण अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख को सूची निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत कराएं (यह सूचना प्रत्येक अभिलेख के लिये पृथक से प्रस्तुत करें)

अभिलेख के प्रकार :–

अभिलेख का नाम :– पर्ववर्ती रा.रा.वि.म. द्वारा निर्मित विभिन्न सेवा सवंर्गो में कार्यरत अधिकारियो/कर्मचारियों की सेवा शर्तो, आचरण, दुराचार के आरोपित कर्मचारियों को शास्ति देने संबंधी नियमों/विनियमों एवं अन्य प्रकार के विनियमों को ही अ.वि.वि.नि.लि. द्वारा वांछित संशोधन कर अधिग्रहण कर लिया गया हैं। निगम द्वारा अधिगृहित (Adopted) किये गये नियम/विनियम पुस्तिकायें निम्न है :–

1. कर्मचारी सेवा विनियम 1964(ESR)
2. इंजिनीयर्स सेवा विनियम 1969
3. तकनीकी कर्मचारी सेवा विनियम 1975
4. अधिकारी सेवा विनियम 1974
5. रा.रा.वि.म. (पेंशन) एवं प्रावधायी निधि विनयम 1988
6. मंत्रालय कर्मचारी विनियम 1962
7. कर्मचारी(वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) विनियमद्ब
8. कर्मचारी आचरण विनियम
9. यात्रा भत्ता विनियम
10. चिकित्सा पुर्नभरण विनियम
11. Purchase Manual

12- Store Manual

13- PMCF Rules

14- The Electricity Act-2003

15- Terms & Conditions of Supply of Electricity

16- Tariff for supply of Electricity-2004

17. कृषि कनेक्शन नीति. 2005
18. रेवेन्यू मैन्यूअल

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय : उपरोक्तानुसार

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और पताः लेखाधिकारी (नियम)
अभिलेख की जानकारी लेखाधिकारी(नियम), अ.वि.वि.नि.लि., विद्युत भवन, सिटी पावर हाउस, जयपुर रोड, अजमेर से प्राप्त कर सकते है।

(1.) द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 (अधिनियम)–

भारत सरकार द्वारा लागू विद्युत अधिनियम 2003 के तहत विद्युत निगम के कर्तव्यों के सम्बन्ध में कानून बनाया गया है। इसके आधार पर अजमेर डिस्कॉम में विभिन्न नियम, निर्देशिका एवं परिपत्र बनाये जाते हैं।

इस अधिनियम का पुस्तक के रूप में प्रकाशन निजी प्रकाशकों द्वारा किया जाता है। मूल अधिनियम (बेयर क्ट) के रूप में, हिन्दी अनुवाद के सहित या व्याख्या सहित हिन्दी व अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। इसे बाजार से सशुल्क क्रय किया जा सकता है।

(2.) टर्म्स एण्ड कण्डीशन्स ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी (विनियम)–

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के तहत इस पुस्तिका का प्रकाशन अजमेर डिस्कॉम द्वारा किया गया है। इस पुस्तिका में अजमेर डिस्कॉम द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न श्रेणियों के विद्युत उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले विद्युत कनेक्शनों से संबंधित प्रक्रिया एवं शर्तो का वर्णन किया गया है। यह पुस्तिका अजमेर डिस्कॉम में उपलब्ध है।

(3.) टैरिफ फोर सप्लाई ऑफ इलैक्ट्रिसिटी–2004

राजस्थान राज्य विनियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के तहत अजमेर डिस्कॉम द्वारा विभिन्न श्रेणी विद्युत उपभोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले टैरिफ का निर्धारण किया गया है। इसका प्रकाशन अजमेर डिस्कॉम द्वारा किया गया है। तथा इसे अजमेर डिस्कॉम के जनसम्पर्क कार्यालय से
प्राप्त की जा सकती है।

(4.) कृषि कनेक्क्शन नीति 2004 (निर्देशिका)–

इस पुस्तिका का प्रकाशन राज्य सरकार द्वारा 18.09.2004 को घोषित संशोधित कृषि नीति के आधार पर राज्य की तीनों विद्युत वितरण निगमों के लिये एक साथ किया गया है। यह पुस्तिका अजमेर डिस्कॉम के प्रत्येक कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध करवाई गयी है तथा जिला प्रमुखों, जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति प्रधानों, जिला कलक्टरों आदि को भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई गयी है।

(5.) रेवेन्यू मैनुअल (नियम)–

विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत बिल जारी करने, उनके विद्युत मीटरों की रीडिंग लेने, उपभोक्ता की विद्युत खपत का लेजर बनाने, उनका बिल तैयार करने, विद्युत उपभोक्ता तक बिल पहुँचाने, राजस्व संग्रहण करने, उपभोक्ता से अग्रिम राशि स्वीकार करने, उपभोक्ता को फीडर कोड आवंटित करने, मीटरों की सीलिंग करने के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया, विभिन्न राजस्व कार्मिकों के कर्तव्यों का निर्धारण करने आदि का विस्तृत वर्णन रेवेन्यू मैनुअल में दिया गया है।

(6.) निष्पादन के मानक –

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 के तहत राज्य की विद्युत कंपनियों के लिए विभिन्न नियम एवं विनियम बनाए जाते हैं। विद्युत निगमों द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने निष्पादन के मानक निर्धारित किए हैं।

(7.) डेलिगेशन ऑफ पावर्स (नियम)–

अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक, मुख्य अभियंताओं, विभिन्न विभागाध्यक्षों, कार्यालय अध्यक्षों एवं अन्य अभियंताओं, लेखा अधिकारियों तथा राजस्व अधिकारियों को विभिन्न कार्यों के लिये प्रदत वित्तीय शक्तियां– ''डेलिगेशन ऑफ पावर्स'' नामक पुस्तिका में अलग से दी गयी हैं। इसका प्रकाशन अजमेर डिस्कॉम मुख्यालय द्वारा किया गया है।

(8.) वर्क्स मैनुअुल एण्ड जनरल कन्डीशन्स ऑफ कॉन्ट्रेक्ट फॉर वर्क्स (नियम)–

विभिन्न निर्माण कार्यों यथा भवन निर्माण, जी.एस.एस. निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिये टेण्डर तैयार करने, प्रकाशित करने तथा कार्य की शर्तें आदि तय करने के लिये विभिन्न अधिकारियों को प्राप्त शक्तियों, प्रक्रियाओं तथा कान्ट्रेक्ट अवार्ड करने आदि के नियम इस पुस्तिका में लिखे हुए हैं।

(9.) परचेजेज मैनुअल (नियम)–

अजमेर डिस्कॉम द्वारा क्रय की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्री एवं उपकरणों को क्रय करने के लिये संबंधित दिशा–निर्देश एवं अपनायी जानी वाली प्रक्रिया का उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है।

(10.) स्टोर मैनुअल (नियम)–

विभिन्न प्रकार की सामग्री यथा ट्रांसफॉर्मर, मीटर, केबल/तार, ऑयल, कैपेसीटर, ब्रेकर, आदि क्रय कर, स्टोर में प्राप्त करने एवं उसे अन्य कार्यालयों को जारी करने का कार्य किया जाता है तथा स्टोर के माध्यम से विभिन्न अधिकारियों को पहुँचाया जाता है। अनुपयोगी सामग्री को नीलाम/निष्पादन करने, स्टोर्स में सामग्री प्राप्त एवं जारी करने के लेखांकन तथा स्टोर्स में कार्यरत अधिकारियों के कर्त्तव्यों आदि का स्टोर्स मेनुअल में विवेचन किया गया हे।

(11.) सर्विस ऑफ इंजीनियर्स रेग्यूलेशन्स (रिक्रूटमेंट, प्रोमोशन एण्ड सीनियरिटी) रेग्यूलेशन्स 1969 (विनियम)– उक्त पुस्तिका में सहायक अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता आदि की नियुक्ति, पदोन्नति एंव वरीयता आदि के संबंध में नियम/दिशा निर्देश दिये गये है।

(12.) ऑफिस सर्विस (रिक्रूटमेंट, प्रोमोशन एण्ड सीनियोरिटी) रेग्यूलेशन्स,1974 (विनियम)–

इस पुस्तिका में विभिन्न अधिकारियों (अभियन्ताओं को छोड़कर) की नियुक्ति, पदोन्नति एवं वरीयता के संबंध में नियमो/निर्देशों की व्याख्या की गयी है। इसका प्रकाशन तत्कालीन राजस्थान राज्य विधुत मण्डल द्वारा किया गया है।

(13.) मिनिस्ट्रीयल स्टाफ सर्विर्सस रेग्यूलेशन्स 1962 (M.S.R.)–

मिनिस्ट्रीयल स्टाफ सर्विस रेग्यूलेशन्स 1962 (डष्ैण्त्) में मंत्रालयिक कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति आदि के संबंध में नियमों की व्याख्या की गई है। इसका प्रकाशन तत्कालीन राजस्थान राज्य विधुत मण्डल द्वारा
किया गया है।

(14.) एम्प्लोयीज (क्लासीफिशन, कन्ट्रोल एण्ड़ अपील)

रेग्यूलेशन, 1962 एण्ड़ कन्डक्ट रेग्यूलेशन्स, 1976 उक्त पुस्तिका में कर्मचारियों के वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील के संबंध में नियम दिये गये हैं। इन नियम में कर्मचारियों, द्वारा कार्य निष्पादन में लापरवाही, कर्त्तव्य–च्युति (Delenquency) के संबंघ में दिये जाने वाले शास्ति अथवा दण्ड़ (Penalties) तथा इस सन्दर्भ में अधिकारियों को प्रदत अधिकारों के संबंध में व्याख्या उपलब्ध है।

(15.) एम्प्लोयीज सर्विस रेग्यूलेशन, 1964

इन नियमों में कर्मचारियों की नियुक्ति पर लागू होने वाली सेवा शर्ते (Condition of Service), परिवीक्षा, स्थानान्तरण, अवकाश, वेतन, विभिन्न अधिकारियों द्वारा काम में ली जाने वाली शक्तियों आदि के बारें में उल्लेख किया गया है। इसका प्रकाशन तत्कालीन राजस्थान राज्य विधुत मण्ड़ल द्वारा किया गया है।

(16.) अन्य नियमावलियॉ

अजमेर डिस्कॉम के कार्मिकों के दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्धारण के लिये राजस्थान सेवा नियम, राजस्थान सामान्य वित्तिय एंव लेखा नियम, राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम आदि नियमावलियॉ बनी हुई है। ये बाजार से क्रय की जा सकती है।